अपर आयुक्त ग्रेड–1 राज्य कर, लखनऊ
जोन–प्रथम, लखनऊ।

पान मसाला से संबंधित फर्म का
अध्ययन एवं चेकलिस्ट

धीरेन्द्र प्रताप सिंह
अपर आयुक्त ग्रेड–2
(वि0अनु0शा0) राज्य कर, लखनऊ
जोन–प्रथम, लखनऊ।

- पान मसाला सुपारी कत्था खुशबूदार पदार्थ जैसे इलायची, लौंग एवं मेन्था आदि से निर्मित एक मिश्रित उत्पाद है, जिसके दो रूप सादा पान मसाला एवं तम्बाकू मिश्रित पान मसाला(गुटखा) होते हैं।
- भारत में तंबाकू मिश्रित पान का प्रयोग सदियों से होता रहा है। बढ़ते आधुनिकीकरण औद्योगिकीकरण के दौर में पान का स्थान उद्योगों द्वारा तैयार पान मसाला ने ले लिया है।
- पान मसाला पैक्ड पाउच में सुविधाजनक रुप से प्राप्त होता है तथा लंबे समय तक प्रयोग किया जा सकता है। सामान्यत: पान मसाला पाउच के साथ तंबाकू के पाउच का भी प्रयोग किया जाता है।

पान मसाला के निर्माण में प्रयोग होने वाले रॉ मैटेरियल

- सुपारी 80-85%
- कत्था 8-10%
- चूना 5-7%
- परफ्यूम 1-2%
- इलायची(आवश्यकतानुसार)
- मेन्थॉल(आवश्यकतानुसार)
- मुलेठी(आवश्यकतानुसार)
- मैग्नीशियम कार्बोनेट(आवश्यकतानुसार)

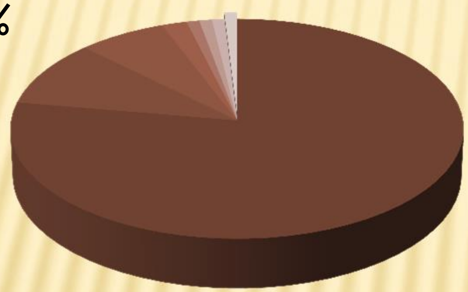

जर्दा के निर्माण में प्रयोग होने वाले रॉ मैटेरियल

- तम्बाकू(85-90%)
- परफ्यूम(5-7%)
- मेन्थॉल(1-2%)
- किमाम(2-5%)

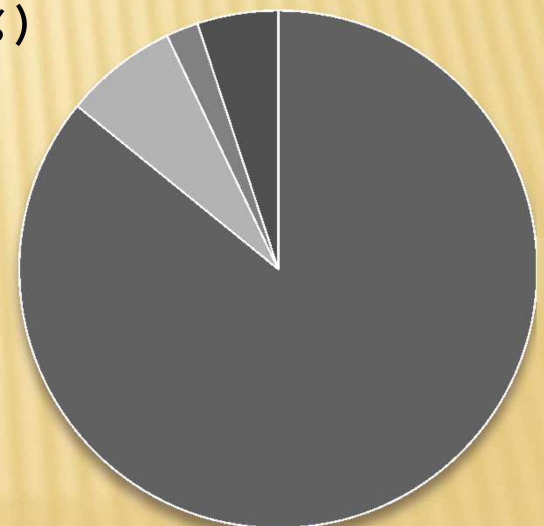

पान मसाला का पैकिंग मैटेरियल

पेपर लेमिनेट

आउटर/इनर बॉक्स

कोरोगेटेड बॉक्स

प्लास्टिक बैग्स(बोरी)

पान मसाला का पैकिंग मैटेरियल

कटर मशीन

मिक्सिंग मशीन

पाउच पैकिंग मशीन

ओवन

निर्माण प्रक्रिया

- पान मसाला मूल रुप से सुपाड़ी, कत्था, तम्बाकू, इलायची, हर्ब्स, मेन्थॉल, एरोमैटिक कम्पाउण्ड आदि को मिश्रित करते हुए बनाया जाता है। माल की गुणवत्ता के आधार पर माल की कीमत भिन्न–भिन्न ब्राण्ड नेम के लिए भिन्न–भिन्न होती है, जो कि अलग–अलग आय वर्ग के लोगों के लिए मांग का विशिष्ट आधार होता है
- सूत्रबद्ध सुनिश्चित अनुपात ब्राण्ड को विशिष्ट पहचान देता है परन्तु सामान्य रुप से प्रत्येक पान मसाला विनिर्माण इकाई द्वारा निम्न अनुपात में कच्चे माल का प्रयोग पान मसाला तैयार करने हेतु किया जाता है।

1.00 किग्रा0 तैयार पान मसाला की मात्रा में रॉ मैटेरियल

प्रोसेस मशीन में मिक्स

- 01 किग्रा0 सुपाड़ी
- 35 ग्राम चूना
- 40 ग्राम कत्था
- 02 ग्राम कम्पाउण्ड/एसेन्स,
- 03 ग्राम मेन्था
- 02 ग्राम पैराफिन ऑयल (वैकल्पिक)

- सामान्य रुप से बाजार में औसत मूल्य के आधार पर 1.0 किग्रा0 तैयार करने हेतु लगभग रु0 350 से रु0 400 तक का कच्चा माल विनिर्माता इकाईयों द्वारा प्रयोग में लिया जाता है एवं विनिर्मित उत्पाद को ब्राण्ड की गुणवत्ता के आधार पर रु0 2000 से रु0 2500 प्रति किग्रा0 (कर सहित) तक बाजार में आपूर्ति किया जाता है।

करापवंचन की विधियाँ

- इनवाइस/ई–वे का पुर्नप्रयोग ।
- बी–टू–सी की इनवाइस जारी करते हुए एक ही इनवाइस से कई बार माल की सप्लाई।
- फर्जी एवं समानान्तर इनवाइस द्वारा
- निर्मित तैयार माल को तुरंत ही आगे की सप्लाई चेन में भेजना जिससे मैन्यूफैक्चरिंग प्लान्ट में अधिक स्टॉक इकट्ठा नहीं होती।
- तैयार माल के अवमूल्यन द्वारा ।
- डमी/छद्म व्यापारी की आड़ में ।
- घोषणा से भिन्न व्यापारी को माल की आपूर्ति करके ।
- कच्चे माल की अपवंचित खरीद ।
- निर्माण इकाई हेतु एक से अधिक विद्युत कनेक्शन प्राप्त करते हुए निर्माण किया जाना तथा निर्माण में अत्यधिक मात्रा में डीजल चलित जनरेटर का प्रयोग कर निर्माण क्षमता को कम दर्शाना।
- निर्माता इकाईयों द्वारा सहयोगी ट्रेडिंग फर्मों की आड़ लेकर ।

पान मसाला फर्मों की वि0अनु0शा0 जॉच के बिन्दु

1. जॉच/तलाशी से पूर्व फर्म संबंधित डाटा का अवलोकन :–

- फर्म के वार्षिक टर्नओवर ई–वे–बिल द्वारा आउटवर्ड सप्लाई, टैक्स लाइबिलटी में आईटीसी समायोजन के प्रतिशत का अवलोकन।
- फर्म स्वामी/डायरेक्टर/फर्म पार्टनर द्वारा पंजीकृत अन्य फर्मों की जानकारी प्राप्त करना तथा उनके घोषित/अघोषित व्यापार स्थलों का अवलोकन करना।
- फर्म के जीएसटीआर 2ए/2बी का अवलोकन करते हुए फर्म की इनवर्ड सप्लाई को देखना तथा इनवर्ड सप्लाई भेजने वाली सप्लायर फर्मों की इनवर्ड सप्लाई को अवलोकित करना।
- फर्म द्वारा दाखिल किए गये जीएसटीआर–01 में आउटवर्ड सप्लाई प्राप्त करने वाली मुख्य फर्मो की इनवर्ड आउटवर्ड का अवलोकन तथा इन फर्मों के घोषित/अघोषित व्यापार स्थलों/गोदामों का अवलोकन करना।
- फर्म द्वारा दाखिल किये गये रिटर्न में बी–टू–बी एवं बी–टू–सी आउटवर्ड सप्लाई का अनुपात का अवलोकन करना।
- फर्म द्वारा कुल इनवर्ड सप्लाई से प्राप्त रॉ मैटेरियल तथा आउटवर्ड सप्लाई के द्वारा भेजे गये तैयार माल के अनुपात का अवलोकन करना।
- फर्म के ई–वे–बिल में इनवर्ड/आउटवर्ड सप्लाई का मूल्य, इनवर्ड/आउटवर्ड सप्लाई की प्रमुख फर्म, माल स्थानांतरण में प्रयुक्त वाहनों की पंजीयन संख्या तथा उनकी आवृत्तिकरण का अवलोकन करना।
- फर्म द्वारा ई–वे–बिल निर्माण के समय तथा प्रयुक्त वाहनों के मध्य पैटर्न का अवलोकन करना।

2. जॉच/तलाशी से पूर्व फर्म पूर्व फर्म के घोषित/अघोषित व्यापार स्थलों एव गोदाम की रेकी संबंधित डाटा का अवलोकनः–

- तलाशी हेतु चयनित व्यापारी के घोषित अथवा अघोषित व्यापार स्थल, अतिरिक्त व्यापार स्थल, गोदाम एवं फैक्ट्री की भौगोलिक स्थिति की रेकी करते हुए इनका सही–सही चिन्हांकन एवं रोड मैप तैयार करना।
- चिन्हित स्थान/फैक्ट्री/गोदाम के खुलने एवं बंद होने का समय, शिफ्ट बदलने का समय तथा साप्ताहिक बंदी का दिन इत्यादि भी ज्ञात करना।
- रेकी के दौरान तलाशी हेतु चयनित स्थलों से निकलने के सभी सम्भावित रास्तों को चिन्हित करते हुए रोकने की व्यवस्था करना।
- रेकी के दौरान तलाशी हेतु चयनित स्थल/क्षेत्र के पुलिस थाना एवं उसके प्रभारी का दूरभाष नम्बर प्राप्त करना।
- रेकी के दौरान चयनित स्थल पर फर्म के स्वामी, साझीदार, डायरेक्टर, मैनेजर, एकाउन्टेंट इत्यादि जिम्मेदार व्यक्तियों के उपस्थित रहने का सामान्य समय ज्ञात करना।
- तलाशी हेतु चयनित स्थल/स्थलों की जॉच हेतु वांछित अधिकारियों की संख्या एवं सुरक्षा के उपायों का मूल्यांकन करना।
- तलाशी हेतु चयनित व्यापारी को कच्चे माल, पैकिंग मैटेरियल अथवा निर्मित माल की आपूर्ति करने वाले एवं इस फर्म से आपूर्ति प्राप्त करने वाले व्यापारियों की पूरी श्रृंखला की रिपोर्ट तैयार करते हुए उनके व्यापार स्थलों की भी यथावश्यक रेकी करना।
- तलाशी हेतु चयनित व्यापारी के व्यापार स्थल, फैक्ट्री एवं गोदाम तक माल पहुंचाने एवं वहां से ले जाने वाले ट्रांसपोर्टर्स एवं वाहनों की सूचना एकत्र करना। इनवर्ड एवं आउटवर्ड आपूर्ति के ई–वे बिलों पर अंकित वाहनों के आवागमन के सम्बन्ध में यथासम्भव फास्टैग/आर.एफ.आई.डी. सम्बन्धी विवरण प्राप्त करते हुए विश्लेषण करना।

3. जॉच से पूर्व तैयारीः—

- तलाशी के समय प्रयोग किये जाने वाले बाडीवार्न कैमरा की कियाशीलता जॉच लेना।
- तलाशी हेतु गठित प्रत्येक टीम के लिए सर्च मैटैरियल एवं सर्च पैकेट (पंचनामा तैयार करने हेतु पर्याप्त मात्रा में कागज एवं कार्बन, सीजर मेमो, तलाशी हेतु प्रॉपर आफीसर द्वारा जारी अधिकार पत्र सील हेतु वैक्स, सुई, धागा, कपड़ा, मोमबत्ती, माचिस, लिफाफा एवं ब्रास सील) तैयार किया जाएगा। इलेक्ट्रानिक रिकार्ड एवं डिजिटल डाटा प्राप्त करने हेतु स्टोरेज डिवाइसेस (नई सील्ड पेन ड्राइव, एक्सटर्नल हाड डिस्क आदि) भी रखा जाना।
- तलाशी हेतु चयनित स्थल पर रवाना होने से पूर्व जांच टीम के सभी सदस्यों के एकत्र होने का स्थान, तिथि एवं समय तथा यहां से दिए गये रोडमैप के अनुसार रवाना होने एवं तलाशी प्रारम्भ करने का समय पूर्व में निर्धारित करना।
- डिप्टी कमिश्नर(वि0अनु0शा0) द्वारा तलाशी की तैयारी से सम्बन्धित चेकलिस्ट एवं तलाशी के दौरान अभिग्रहण की चेकलिस्ट तैयार करना तथा तलाशी की कार्यवाही से एक दिन पूर्व दोनों चेकलिस्ट व्यक्तिगत रूप से ज्वाइंट कमिश्नर (वि0अनु0शा0) के समक्ष प्रस्तुत करते हुए तलाशी की तैयारी पूर्ण होने के तथ्य से अवगत कराना।

पान मसाला सम्बन्धित फर्म की तलाशी एवं अभिग्रहण

1. तलाशी स्थल पर प्रवेश करते ही वहाँ उपस्थित सभी व्यक्तियों, ऑफिस, केबिन, कमरा, स्टोर, गार्डरूम की तलाशी तथा तलाशी स्थल पर व स्थल से बाहर फर्म संबंधित सभी प्रकार के वाहनों को नियंत्रण में करना जिससे किसी अभिलेख व इलेक्ट्रानिक उपकरण को नष्ट करने अथवा छिपाये जाने की सम्भावना समाप्त हो।

2. तलाशी स्थल पर प्रवेश करते ही सी0सी0टी0वी0 का डी0वी0आर0, बायोमैट्रिक डिवाइसेज, गेट रजिस्टर एवं उपस्थित पंजिका इत्यादि महत्वपूर्ण अभिलखों/वस्तुओं को अभिग्रहण में लिया जाना।

3. तलाशी परिसर में अथवा परिसर के बाहर फर्म से संबंधित माल लदे वाहनों से प्राप्त संदिग्ध प्रपत्रों का अभिग्रहण

4. तलाशी स्थलों पर पायी गयी विभिन्न प्रकार की मशीनों की कुल संख्या

5. कार्यरत मशीनों की कुल संख्या

6. प्लान्ट की कुल उत्पादन क्षमता

7. तलाशी के समय उत्पादन दर तथा कार्य करने की शिफ्ट

पान मसाला सम्बन्धित फर्म की तलाशी एवं अभिग्रहण

- मशीनों की खरीद की तिथि
- मशीन की विद्युत खपत
- विद्युत कनेक्शन का लोड
- बिजली मीटर की रीडिंग
- जनरेटर की क्षमता एवं रीडिंग
- प्रति घण्टे डीजल की खपत
- जनरेटर शेड में डीजल का स्टॉक
- डीजल की खरीद सम्बन्धित सूचना
- विद्युत मीटर कनेक्शन तथा डीजल जनरेटर की एमआरआई रिपोर्ट

पान मसाला सम्बन्धित फर्म की तलाशी एवं अभिग्रहणः–

- तलाशी स्थल पर पाये गये समस्त प्रकार की इनवर्ड एवं आउटवर्ड आपूर्ति से सम्बन्धित माल का भौतिक सत्यापन करते हुए इन्वेंट्री बनाना तथा उसे पंचनामा का भाग बनाना।
- जॉच के समय प्राप्त सूचनाओं एवं महत्वपूर्ण तथ्यों का विवरण पंचनामा पर अंकित करना।
- तलाशी के समय किसी माल, वस्तु, प्रपत्र एवं अभिलेख को अभिग्रहण की चेकलिस्ट अनुसार यथावश्यक अभिग्रहीत करना।

तलाशी के दौरान जब्ती योग्य माल का अभिग्रहण

- तलाशी स्थल पर करापवंचन के उद्धेश्य से व्यापार के नियमित कम में रखे जाने वाले अभिलेखों से बाहर पाये गये माल को अभिग्रहीत करने हेतु अभिग्रहण आदेश निर्धारित फॉर्म जीएसटी आईएनएस–02 में किया जायेगा, जिसमें अभिग्रहीत माल का पूर्ण विवरण अंकित किया जायेगा तथा उस पर गवाहों एवं माल स्वामी अथवा संरक्षक का हस्ताक्षर करवाना।
- जब्ती योग्य पाये गये माल को अभिग्रहण के पश्चात फर्म स्वामी को अग्रिम आदेश तक सुरक्षित रखने हेतु अभिरक्षा में दिया जा सकता है।
- तलाशी के दौरान अभिग्रहीत माल को प्रान्तीय अधिनियम की धारा –67(6) एवं नियम 140(1) में वर्णित प्रकिया के अनुपालन में माल के समतुल्य बॉण्ड और देय कर ब्याज एवं अर्थदण्ड की जमानत बैंक गारण्टी के रूप में प्रस्तुत करने पर अथवा जीएसटी डीआरसी–03 के माध्यम से संदाय करते हुए सूचित करने पर ऐसे माल को नामित जॉच अधिकारी द्वारा अनंतिम रूप में अवमुक्त किया जायेगा।

करापवंचन पर अंकुश के उपाय

इनवाइस/ई–वे बिल का पुर्नप्रयोग रोकने के उपाय :

- इनवाइसेज/ई–वे के पुर्नप्रयोग द्वारा करापवंचन रोकने हेतु पान मसाला व तम्बाकू के परिवहन करने वाले वाहनों में पायलेट फेज़ में ही आर0एफ0आई0डी0 अनिवार्य करते हुए मुख्य निर्माता इकाईयों से निकलने वाले मार्गों पर आर0एफ0आई0डी0 टॉवर की स्थापना।
- करापवंचक फर्मों के साथ ज़ीरो टॉलरेन्स। इनवाइस/ई–वे बिल का बहुल प्रयोग कर करापवंचन पाए जाने पर फर्म के पंजीयन निरस्तीकरण की व्यवस्था।
- ई–वे बिल में उद्‌गम एवं गन्तव्य स्थल के मध्य दूरी व्यापारी के स्तर से न भरी जाये वरन सिस्टम में ही ऐसी व्यवस्था की जाये कि वह गूगल मैप/नेवीगेटर से स्वयं दूरी लेकर तदनुसार ई–वे बिल की वैधता अवधि नियत करे।
- प्रायः पान मसाला का परिवहन निर्माता कंपनियों के स्वयं के वाहनों से अथवा फिक्स ट्रांसपोर्टर्स के वाहनों से किया जाता है। पान मसाला का परिवहन करने वाले वाहनों में विभाग द्वारा जी0पी0एस0 ट्रैकिंग सिस्टम इनस्टॉल कराया जाये तथा प्रत्येक जोनल मुख्यालय पर एक कमाण्ड सेण्टर स्थापित करते हुए प्रवर्तन इकाईयों के अधिकारियों को उक्त वाहनों के ट्रैकिंग की सुविधा दी जाये।
- प्रत्येक सप्ताह किसी एक निर्माता फर्म को चिन्हित करते हुए उसके द्वारा जारी बिलों का संकलन सचल दल इकाईयों द्वारा अभियान चलाकर कराया जाये।

- टोल प्लाजा से बचकर आस–पास के मार्गों के प्रयोग से ई–वे बिल के पुर्नप्रयोग पर अंकुश लगाने हेतु प्रभावी जांच की कार्यवाही की जाये।
- एक ब्राण्ड के निर्माता व डिस्ट्रीब्यूटर्स के वैध व अवैध समस्त स्थलों की सूचना गोपनीय रुप से संकलित करते हुए एक साथ छापे की कार्यवाही कराई जाये।
- प्रांत में लगभग 50% पान मसाला का आयात व निर्यात रेलवे के माध्यम से होता है। जिसे रोकने हेतु निम्न कार्यवाही की जा सकती है :–
  - रेलवे के उच्चाधिकारियों से निरंतर संवाद रखते हुए रेलवे परिसर में जांच की जाये।
  - जी0एस0टी0 व्यवस्था में रेलवे द्वारा ई–वे बिल के माध्यम से परिवहित माल का विवरण रखा जाता है, जिसे रेलवे से प्राप्त करके तदनुसार कार्यवाही की जाये।
  - रेलवे से पान मसाला के परिवहन से संबंधित इनवाइस व ई–वे बिल की प्रति रेलवे द्वारा विभाग को प्रेषित की जाये।
  - संवेदनशील रेलवे स्टेशनों पर निरंतर नजर रखी जाये।
- सचल दल अधिकारियों के लिए डिजिटल कैमरा, स्कैनर, लैपटॉप तथा हाईस्पीड डेटा नेटवर्क की व्यवस्था कराई जाये।
- संवेदनशील वस्तुओं के संबंध में विशेष टास्क फोर्स बनायी जाये।
- करापवंचक ट्रांसपोर्टर/व्यापारियों के विरुद्व अभियान चलाकर दबाव बनाया जाय।
- नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे व अन्य मार्गों पर नियमित रुप से जांच कार्य कराया जाये।